



2026:AHC: 170916

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 8903/2025

लल्लू राम

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : रुचि प्रजापति, उमेश चंद्र प्रजापति

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह आपराधिक अपील एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14ए(1) के अंतर्गत विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, झांसी द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 309 वर्ष 2025 (लल्लू राम बनाम हरिशंकर और अन्य), जो बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत थाना-मौराणिपुर, जिला-झांसी से संबंधित है, में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 19.08.2025 को रद्द करने के लिए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विशेष न्यायाधीश ने अवैध रूप से परिवाद के रूप में माना है।
3. अपीलार्थी ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 हरि शंकर और अर्जुन के विरुद्ध चोट पहुंचाने तथा अपीलार्थी को अपमानित और प्रताड़ित करने के संबंध में आपराधिक वाद दर्ज करने के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र दाखिल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किया था। लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में मान लिया।

4. संक्षेप में, अपील के आधार यह हैं कि विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, झांसी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19.08.2025 पूरी तरह से अवैध हैं और विधि की दृष्टि में कायम रहने योग्य नहीं है। आक्षेपित आदेश अनुमानों और अटकलों पर आधारित हैं और इसलिए इसे रद्द किए जाने योग्य है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, झांसी, प्रार्थना पत्र में दिए गए अभिवचनों और अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहे और एक सरसरी तरीके से प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। परिवाद प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध के किए जाने का खुलासा करता है; फिर भी, विद्वान विशेष न्यायाधीश संबंधित थाना प्रभारी को एफ.आई.आर. दर्ज करने का निर्देश देने में विफल रहे। घायल लल्लू राम की चोट रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण हिस्से पर चोटों का संकेत देती है, जिसे, अपीलार्थी के अनुसार, अवर न्यायालय द्वारा नजरंदाज नहीं किया जा सकता था। आरोप घायल के जाति-आधारित अपमान और प्रताड़ना का खुलासा करते हैं, जिससे प्रथम दृष्टया एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधान आकर्षित होते हैं। बी.एन.एस.एस. की धारा 173 के दृष्टिगत, जहां सूचना संज्ञेय अपराध के किए जाने का खुलासा करती है, वहां एफ.आई.आर. का पंजीकरण अनिवार्य है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **एक्स.वाई.जेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 2022 लाइव लॉ (एस.सी.) 675** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है। प्रस्तर 24 इस प्रकार है:-

"इसलिए, ऐसे वादों में, जहां मजिस्ट्रेट को न केवल परिवाद के प्रथम दृष्टया पढ़ने पर कथित संज्ञेय अपराध का किया जाना मिलता है, बल्कि ऐसे तथ्य भी मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए जाते हैं, जो पुलिस विवेचना की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं, धारा 156(3) में दिए गए विवेक को केवल मजिस्ट्रेट के कर्तव्य के रूप में ही पढ़ा जा सकता है कि वह पुलिस को विवेचना करने का आदेश दे। वर्तमान वाद जैसे वादों में, जहां अभियुक्त या अन्य व्यक्तियों के भौतिक कब्जे में दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य होने का आरोप है, जिसकी विवेचना और पुनर्प्राप्ति के लिए पुलिस द.प्र.सं. के अंतर्गत अपनी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



शक्तियों का उपयोग करके सबसे अच्छी स्थिति में होगी, मामले को विवेचना के लिए पुलिस को भेजा जाना चाहिए।"

7. उपर्युक्त वाद अलग-अलग तथ्यात्मक पहलू के कारण इस वाद में लागू नहीं होता है। केवल इसलिए कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र के रूप में तैयार किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान न्यायालय प्रत्येक परिस्थिति में आपराधिक वाद दर्ज करने और पुलिस द्वारा विवेचना का निर्देश देने के लिए बाध्य था। आवेदन को दिए गए नामकरण के बजाय आरोपों के सार और मांगी गई राहत की प्रकृति पर विचार किया जाना आवश्यक है।

8. वर्तमान वाद में, अपीलार्थी/पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोप मुख्य रूप से ऐसे तथ्यों पर आधारित हैं जो उसके अपने ज्ञान के भीतर हैं और उसकी उपस्थिति में कथित रूप से किए गए कृत्यों पर आधारित हैं। अपीलार्थी स्वयं व्यथित व्यक्ति है और कथित घटना के संबंध में मुख्य गवाह है। पुलिस द्वारा तथ्यों की खोज की आवश्यकता वाला कोई जटिल प्रश्न प्रदर्शित नहीं किया गया है। ऐसा कोई विशिष्ट पदार्थ भी नहीं दिखाया गया है जिससे यह पता चले कि अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों का न्यायनिर्णयन करने के लिए पुलिस द्वारा कोई रिकवरी, जब्ती, हिरासत में पूछताछ, वैज्ञानिक परीक्षण या कोई अन्य विशेष विवेचना अनिवार्य थी। इस प्रकार, केवल इसलिए कि अपीलार्थी एफ.आई.आर. का पंजीकरण चाहता था, यह नहीं माना जा सकता है कि पुलिस विवेचना का निर्देश अनिवार्य था।

9. **रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य, (2015) 6 एस.सी.सी. 439** में, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मजिस्ट्रेट प्रत्येक वाद में विवेचना का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है और जहां पुलिस द्वारा विवेचना आवश्यक नहीं समझी जाती है, वहां परिवाद प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ सकता है।

रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के प्रस्तर 22.1, 22.2 और 22.3 इस प्रकार हैं:-

"22.1. धारा 156(3) के अंतर्गत निर्देश, मजिस्ट्रेट द्वारा मन के प्रयोग के पश्चात ही जारी किया जाना है। जब मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेता है और प्रक्रिया जारी रखने को स्थगित करना आवश्यक नहीं समझता है और तुरंत आगे बढ़ने के लिए एक मामला बना हुआ

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पाता है, तो उक्त प्रावधान के तहत निर्देश जारी किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जहां उपलब्ध सूचना की विश्वसनीयता के कारण, या न्याय के हित को तौलते हुए सीधे विवेचना का निर्देश देना उचित समझा जाता है, वहां ऐसा निर्देश जारी किया जाता है।

22.2. वे वाद जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है और प्रक्रिया जारी रखने को स्थगित करता है, वे वाद हैं जहां मजिस्ट्रेट को अभी "आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार के अस्तित्व" का निर्धारण करना बाकी है। ललिता कुमारी [ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 2 एस.सी.सी. 1 : (2014) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 524] में प्रस्तर 120.6 के अंतर्गत आने वाले मामलों की श्रेणी धारा 202 के अंतर्गत आ सकती है।

22.3. संहिता की योजना से उपलब्ध इन व्यापक दिशानिर्देशों के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा विवेक का प्रयोग वाद-दर-वाद न्याय के हित द्वारा निर्देशित होता है।"

10. **ओम प्रकाश अंबेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2026) 2 एस.सी.सी. 622** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

"25. इस प्रकार, धारा 156(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले परिवादी द्वारा पालन की जाने वाली पूर्व शर्तें हैं जो कि एक विवेकाधीन उपाय है, क्योंकि यह प्रावधान "कर सकता है" शब्द से शुरू होता है। ऐसा करते समय मजिस्ट्रेट को अपने मन का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। उसे आदेश तभी पारित करना चाहिए जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि सूचना से संज्ञेय अपराधों का पता चलता है और साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस विवेचना की आवश्यकता के बारे में भी जो न तो परिवादी के कब्जे में है और न ही पुलिस की सहायता के बिना प्राप्त की जा सकती है।

27. वास्तव में, मजिस्ट्रेट को केवल तभी पुलिस द्वारा विवेचना का निर्देश देना चाहिए जहां जांच एजेंसी की सहायता आवश्यक हो और न्यायालय को यह महसूस हो कि पुलिस द्वारा विवेचना के अभाव में न्याय के उद्देश्य को नुकसान पहुंचने की संभावना है। मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह पहले यह जांच किए बिना कि वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, राज्य मशीनरी द्वारा विवेचना की वास्तव में आवश्यकता है या नहीं, पुलिस द्वारा विवेचना का यांत्रिक रूप से निर्देश दे। यदि परिवाद में लगाए गए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आरोप सरल हैं, जहां न्यायालय सीधे विचारण करने के लिए आगे बढ़ सकता है, तो मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह धारा 156(3) द.प्र.सं. के तहत पुलिस पर जिम्मेदारी डालने के बजाय साक्ष्य दर्ज करे और वाद में आगे बढ़े। बेशक, यदि परिवाद में लगाए गए आरोपों के लिए जटिल और कठिन विवेचना की आवश्यकता होती है जो राज्य मशीनरी की सक्रिय सहायता और विशेषज्ञता के बिना नहीं की जा सकती है, तो मजिस्ट्रेट के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना का निर्देश देना ही उचित होगा। इसलिए, मजिस्ट्रेट से केवल एक डाकघर के रूप में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है और पुलिस द्वारा विवेचना चाहने वाले आवेदन पर विचार करते समय उसे न्यायिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।"

11. विवेचना का निर्देश मन के प्रयोग के पश्चात जारी किया जाना है और यह कि मजिस्ट्रेट, तथ्यों और न्याय के हितों के आधार पर, विवेचना का निर्देश देने के बजाय परिवाद प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सकता है। इसलिए, केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी ने एफ.आई.आर. दर्ज करने का अनुरोध किया था, उसके पक्ष में पुलिस द्वारा मामले की विवेचना कराने का कोई अनन्य अधिकार पैदा नहीं करता है। प्रासंगिक विचार यह है कि क्या ऐसे साक्ष्य एकत्र करने के लिए पुलिस विवेचना आवश्यक है, जो अन्यथा परिवादी की पहुंच के भीतर नहीं है या जिसके लिए परिवादी उचित रूप से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

12. वर्तमान वाद के तथ्यों में, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में माना है और परिवाद पर लागू होने वाली प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़े हैं। ऐसा तरीका, अपने आप में, अपीलार्थी को कोई पूर्वाग्रह नहीं पहुंचाता है। अपीलार्थी/पीड़ित के पास अपने स्वयं के बयान द्वारा और ऐसे गवाहों तथा सामग्री को पेश करके जो उसके लिए उपलब्ध हो सकते हैं, आरोपों को सिद्ध करने का अवसर सुरक्षित रहता है। यदि, परिवाद की कार्यवाहियों के दौरान, विद्वान न्यायालय को यह पता चलता है कि उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए किसी अन्य पूछताछ या विवेचना की आवश्यकता है, तो विधि के अनुसार उचित प्रक्रिया को हमेशा अपनाया जा सकता है। इस प्रकार, अपीलार्थी यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि प्रार्थना पत्र को परिवाद में बदलने के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है या उसे कोई विधिक रूप से संज्ञेय पूर्वाग्रह हुआ है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. यह भी ध्यान देने योग्य है कि आक्षेपित आदेश अपीलार्थी के आरोपों की सच्चाई या अन्यथा का अंतिम रूप से न्यायनिर्णयन नहीं करता है। प्रार्थना पत्र को परिवाद मानकर, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने केवल वह प्रक्रियात्मक मार्ग चुना है, जिसके माध्यम से विधि के अनुसार आरोपों की जांच की जानी है। इसलिए, अपीलार्थी की यह शिकायत कि विद्वान न्यायालय ने अवैध रूप से उसके प्रार्थना पत्र को परिवाद में बदल दिया है, बिना किसी आधार के है। एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए के अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराने वाली कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि, विकृति या तात्त्विक अनियमितता प्रदर्शित नहीं की गई है।

14. अपीलार्थी यह भी स्थापित करने में विफल रहा है कि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत उसे प्रदत्त कोई भी अधिकार आक्षेपित आदेश द्वारा विफल कर दिया गया है। अधिनियम की विशेष प्रकृति निस्संदेह न्यायालयों से पीड़ितों के अधिकारों और विधि के उद्देश्य के प्रति संवेदनशील बने रहने की अपेक्षा करती है; फिर भी, वैधानिक सुरक्षा का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि पीड़ित द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन को आरोपों की प्रकृति और परिवादी स्वयं को सामग्री की उपलब्धता के बावजूद, अनिवार्य रूप से एफ.आई.आर. के पंजीकरण और पुलिस विवेचना में समाप्त होना चाहिए। विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया विधि के अनुसार अनुमत है और, वर्तमान वाद के तथ्यों में, अपीलार्थी को कोई पूर्वाग्रह नहीं पहुंचाती है।

15. उपर्युक्त कारणों से, यह न्यायालय पाता है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 19.08.2025 किसी भी अवैधता, विकृति या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने थाने में आपराधिक वाद का पंजीकरण का निर्देश देने के बजाय अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में मानने में कोई तात्त्विक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील में उठाए गए आधार गुण-दोष से रहित हैं।

16. तदनुसार, अपील **खारिज** किए जाने योग्य है।

13 अगस्त, 2026

आशा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति संतोष राय)

Translated Versionn. Not For legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”